अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचाँची(धनबाद)

अभिलेख सं0 102(1) /2016–17

वाद का प्रकार :– बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एव कार्रवाई से संबंधित।

1/9/16

पदाधिकारी आदेश

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074 / रा0 दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू–अर्जन– सह – विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या– 3 – खा0म0निति – 119 / 85 / 2308 / रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागगीय परिपत्र संख्या – 914 / रा0 दिनांक 09.12.1998 मे निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियो की जाँच प्रारम्भ की गयी। जाँच के कम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्र0अं0नि0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :–

मौजा पावापुर थाना नं0 10 खाता नं0 123 प्लॉट नं0 70 रकवा 0.16 एकड की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी II के जिल्द सं0 4 के पृष्ट संख्या 444 पर जमाबंदी रैयत सकीना परवीन के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं प्र0अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं प्र0अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नही उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाए।

अभिलख दिनांक 15/9/16 को उपस्थापित करे।

अंचल अधिकारी,
तोपचॉची

Scanned with CamScanner

2018

अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त। नोटिस का तामिला प्राप्त। नोटिस के आलोक में किसी जमाबंदी रैयत या उनके वंशज द्वारा आपत्ति और ना ही राजस्व कागजात समर्पित करने हेतु समय का माँग किया गया है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि मौजा ....पानापुर.... मौजा नं० ....10.... खाता नं० ....123.... प्लॉट नं० ....70.... रकवा ....0.16 एकड़.... से संबंधित है, जो खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खाते की भूमि है। जिसका पंजी II के जमाबंदी भोलुम नं० ....4.... के पृष्ट सं० ....444.... में रैयत ....सकिना परवीन.... सा० – ....पानापुर, तोपचाँची.... के नाम से कायम है। उपरोक्त जमाबंदी के प्रॉधिकार कॉलम में, बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के / अवैध लगान निर्धारण के आधार पर /सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्वेश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि की विवरणी की सृजित जमाबंदी अवैध / संदिग्ध प्रतित होता है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे रद्द करने की अनुशंसा किया जाता है। साथ ही, अभिलेख की कार्रवाई को ....समाप्त.... किया जाता है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार, उप समाहर्ता, धनबाद को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

27/11/20
अंचल अधिकारी,
तोपचाँची।

27/11/20
अंचल अधिकारी,
तोपचाँची।

Scanned with CamScanner

(97)

102(1)16-17.

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- सकिना परवीन- पति अब्दुल रज्जाक
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
धरावपुर	10	123	70	16

3. जमाबंदी पंजी–II के जिल्द संख्या....... पृष्ठ सं०— 444 पर कायम है —
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है — 98-99
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- [illegible]
6. किस सक्षम प्राधिकार/पक्षधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है — 83/70 103(1) 98-99 [illegible]
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम —
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भूबंदोबस्ती — [illegible]
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू–हस्तांतरण पंजी) • पंजी II
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र0 संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1	8034027	99-2000 / 30/12/99	99-2000

अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचाँची(धनबाद)

वाद सं० 102 (1) / 2016-17 (अन्तर्गत धारा – 4(h), BLR Act, 1950)

सूचना

सकीना परवीन

पिता पति अब्दुल रज्जाक

ग्राम – धारापुर पो०

थाना – हरिहरपुर जिला – धनबाद।

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा धारापुर थाना नं० 10 खाता नं० 123 प्लॉट नं० 70 रकबा 0.16 एकड़ से संबधित आपके नाम से हल्का नं० 1 के पंजी II भाग 4 के पृष्ठ 444 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने प्र०अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव, आप उक्त संबंध मे दिनांक 15/9/16 को समय 11:00 बजे पूर्वा० में उक्त भूमि का रिटर्न –I, भूमिबंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यायल प्रकोष्ठ मे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नही कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति–युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

तिथि :– 01/09/2016

स्थान :– तोपचाँची

मुहर

01/9

अंचल अधिकारी

तोपचाँची

01/09/2016

Abdul Razzaque

सकीना परवीन का पती का सिगनेचर

Scanned with CamScanner